न्यायालय सहायक कलक्टर (FT),मावली जिला उदयपुर (राज0)
पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.
पत्रावली संख्या : 123/18 (प्रा0पत्र)
GCMS No. : 2018/00009

अनवान्

1. श्री माधुलाल पिता उंकार कुम्हार निवासी ईण्टाली हाल एकलिंगपुरा तहसील गिर्वा।

.............प्रार्थी

बनाम

1. श्री नारायण पिता उंकार कुम्हार निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
2. श्री प्रेमशंकर पिता मियाराम कुम्हार निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
3. श्री राजु पिता मियाराम कुम्हार निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
4. श्रीमती पुष्पा पुत्री मियाराम पत्नी उदयलाल कुम्हार निवासी कुण्डई तहसील वल्लभनगर।
5. श्रीमती भावना पुत्री मियाराम पत्नी हीरालाल कुम्हार निवासी भल्लो का गुडा तहसील गिर्वा।
6. श्रीमती मोतीबाई उर्फ बाबरी पत्नी मियाराम कुम्हार निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
7. पटवारी, पटवार हल्का ईण्टाली तहसील मावली।
8. उप पंजीयक अधिकारी, उप पंजीयन कार्यालय सनवाड तहसील मावली।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

...............विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री पंकज चौधरी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2, 4, 5

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
–: : निर्णय : :–

दिनांक : 29.09.2025

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा ईण्टाली पटवार हल्का ईण्टाली तहसील मावली के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 828, 2671, 2672 किता 3 कुल रकबा 4 बीघा आराजीयात प्रार्थी, खातेदार मांगु पिता उदा, विपक्षी संख्या 1 व खातेदार मियाराम पिता उंकार, भगवान पिता लाला, खातेदार नाथुलाल, बगदीराम, नारायणी पिता पन्ना, मोतीबाई पत्नी पन्ना के नाम संयुक्त रूप से हिस्सानुसार वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। खातेदार मियाराम का निधन हो चुका हैं। मियाराम के वारिस विपक्षी संख्या 2 से 6 हैं। परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 2564, 2576 किता 2 कुल रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा आराजीयात खातेदार मियाराम पिता उंकार के नाम 3/8 हिस्सा, प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 तथा खातेदार मियाराम पिता उंकार के नाम संयुक्त रूप

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:51:59 IST
Reason: SelfAttested

से 1/8 हिस्सा, भगवानलाल, धापुबाई पिता अमरा व कंकुबाई बेवा अमरा के नाम संयुक्त रूप से 1/12 हिस्सा, गणेशलाल पिता पोखर के नाम 1/16 हिस्सा, लालीबाई पिता पोखर के नाम 1/48 हिस्सा, काशीराम, रामलाल, धनी पिता रोडा व नारायणी पिता रोडा के नाम संयुक्त रूप से 4/20 हिस्सा, गिरिराज, पन्ना, रूकमणी पिता वरदा, गमेरीबाई पत्नी वरदा के नाम संयुक्त रूप से 1/20 हिस्सानुसार वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। खातेदार मियाराम पिता उंकार, कंकुबाई बेवा अमरा, नारायणी पिता रोडा का निधन हो चुका हैं। मियाराम के वारिस विपक्षी संख्या 2 से 6 हैं।

2. यह कि उक्त वर्णित कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से दर्ज है तथा प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 6 एवं अन्य सहखातेदार संयुक्त रूप से काबिज हो काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त आराजीयात संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से प्रार्थी को अपने हिस्सा भूमि को काश्त योग्य बनाने हेतु ऋण आदि लेने एवं अपने हिस्से की भूमि को और अधिक उपजाउ बनाने, विकास करने, चार दिवारी करने इत्यादि में भी काफी कठिनाई का सामना करना पड रहा है। इसलिए उक्त वर्णित आराजीयात का प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 6 एवं अन्य सहखातेदारान के मध्य मौके पर मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अंकित हिस्सेनुसार जरिये भूमिधारी तहसीलदार मावली द्वारा कानूनी रूप से बंटवाडा कराया जाना आवश्यक है इसलिए माननीय न्यायालय आपमें वाद प्रस्तुत कर दिया है जो माननीय न्यायालय आपमें जैरकार्यवाही हैं।

3. यह कि प्रार्थी का प्राइमाफैसी केस है क्योंकि परिशिष्ट अ, ब में वर्णित आराजीयात संयुक्त खातेदारी की होकर सभी सहखातेदार संयुक्त रूप से काश्त कर रहे है लेकिन विपक्षीगण आये दिन प्रार्थी से लडाई झगडा करते है और प्रार्थी को अपने संयुक्त खातेदारी की भूमि का उपयोग उपभोग शांतिपूर्वक नहीं करने दे रहे है, प्रार्थी को अपने हिस्से की भूमि में काश्त करने में भी बाधा उत्पन्न करते है और प्रार्थी को बेदखल करने एवं संयुक्त खातेदारी के विशेष हिस्से को हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करने की ऐलानिया धमकीया दे रहे है और प्रार्थी के कब्जे काश्त में भी निरन्तर दखलन्दाजी कर व्यवधान पैदा कर रहे है। इसलिए प्रार्थी विपक्षीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी है कि विपक्षी संख्या 1 से 6 प्रार्थी को संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि में शांतिपूर्वक कृषि कार्य एवं उपयोग उपभोग करने देवे इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, बेदखल नहीं करे, कब्जा नहीं करे, बिना बंटवाडा संयुक्त खातेदारी के विशेष भू भाग को हस्तान्तरित नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावे। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं है बल्कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मुझ प्रार्थी को भारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:51:59 IST
Reason: SelfAttested

क्षति होगी उसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में हैं।

4. यह कि प्रार्थना पत्र कारण विरूद्व प्रथम बार विपक्षी संख्या 1 से 6 दिनांक 09.04.2016 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी संख्या 1 से 6 प्रार्थी को उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि से बेदखल कर कब्जा करने एवं संयुक्त खातेदारी की भूमि के विशेष हिस्से को खुर्द बुर्द करने की ऐलानिया धमकी दी एवं अंतिम बार दिनांक 03.08.2018 को विपक्षी संख्या 1 से 6 मुझ प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कर व्यवधान पैदा किया है और अच्छी किस्म की भूमि को हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करने की धमकीया दी जिससे प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 03.08.2018 को उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। अन्त में निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षी संख्या 1 से 6 मुझ प्रार्थी को संयुक्त कब्जे की कृषि भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, बेदखल नहीं करे, कब्जा नहीं करे, किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, संयुक्त खातेदारी की भूमि को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावें, राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें, विपक्षी संख्या 7 से 9 राजस्व रेकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे, रेकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करे, न करावें।

5. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1, 3, 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। विपक्षी संख्या 2 से 4 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि परिशिष्ट अ में वर्णित आराजीयात प्रार्थी एवं स्व. मियाराम जी एवं भगवान जी व अन्य के नाम एवं परिशिष्ट ब में वर्णित भूमि हमारे पिता/पति मियाराम व अन्य के नाम पर राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से अंकित होना स्वीकार है परन्तु उक्त हमारे नाम पर अंकित हिस्सा भूमि पर हम विपक्षीगण हमारे मौरूसों के मध्य हुए बंटवारानुसार हिस्से में आई जमीन पर तन्हा काबिज हो काश्त करते आ रहे हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि का बंटवारा हम विपक्षीगण के पिता/पति मियाचन्द जी एवं प्रार्थी माधुलाल के मध्य हुए आपसी बंटवारा जो दिनांक 25.02.1994 को हुआ था के अनुसार हिस्से में आई जमीन पर काबिज हो काश्त कर रहे है और इसी बंटवारा अनुसार प्रार्थी भी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज हो काश्त करता आ रहा है इसलिए उक्त प्रार्थनाग्रस्त भूमि का बंटवारा हिस्से एवं मौके पर कब्जेनुसार किया जाने में हम विपक्षीगण को किसी प्रकार का एतराज नहीं हैं। चूंकि उक्त प्रार्थनाग्रस्त [illegible] बंटवारा पूर्व में ही आपसी सहमति से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:51:59 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 25.02.1994 को ही हो चुका है इसलिए पुनः मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवारा किया जाना न्यायोचित नहीं हैं। दिनांक 25.02.1994 को हुए बंटवारा की लिखतम की फोटोप्रति साथ संलग्न है जिस पर हम विपक्षीगण के पिता/पति मियाराम जी व प्रार्थी माधुलाल स्वयं के हस्ताक्षर हैं।

6. यह कि प्रार्थी का न तो प्राइमाफैसी केस है न ही सुविधा संतुलन ही इसके पक्ष में है और न ही इसे किसी प्रकार की अशोधनीय क्षति ही हो रही है। वास्तविकता यह है कि हम विपक्षीगण एवं प्रार्थी उक्त प्रार्थनाग्रस्त भूमि में अपने अपने हिस्से की भूमि पर दिनांक 25.02.1994 को हुए बंटवारानुसार जो बंटवारा हमारे पिता/पति एवं प्रार्थी माधुलाल के मध्य हुआ था एवं उक्त बंटवारानुसार हिस्से में आई जमीन पर अपने अपने हिस्से की जमीन पर काबिज हो काश्त करते आ रहे है और उपयोग उपभोग कर रहे है। हमने कभी भी प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर इसे काश्त करने देने में बाधा उत्पन्न नहीं की है न ही बेदखल करने की धमकी दी हैं। प्रार्थी ने सभी कथन मनगढन्त अंकित किये हैं। प्रार्थी माननीय न्यायालय से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, न ही किसी प्रकार की निषेधाज्ञा ही प्राप्त करने का अधिकारी हैं। प्रार्थी को हम विपक्षीगण के विरूद्व दिनांक 09.04.2016 या कभी भी कोई प्रार्थना पत्र कारण उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि हमने कभी भी प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की है न ही उक्त भूमि को किसी को विक्रय करने की धमकी दी हैं। प्रार्थी ने सभी कथन मिथ्या अंकित किये हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत व मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें। प्रार्थी माननीय न्यायालय से कोई दाद प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है न ही हमारे विरूद्व किसी प्रकार की निषेधाज्ञा ही प्राप्त करने का अधिकारी हैं।

7. **प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 2 से 4 द्वारा प्रस्तुत जवाब का जवाब उल जवाब पेश कर निवेदन किया** कि वाद वर्णित आराजीयात के सहखातेदारान के मध्य कभी कोई बंटवाडा नहीं हुआ हैं। विपक्षीगणों द्वारा गलत कथन किये हैं, मौके पर सभी सहकाश्तकार संयुक्त रूप से काबिज हो काश्त करते चले आ रहे हैं। जिस तथाकथित दस्तावेज का वर्णन विपक्षीगण के द्वारा अपने जवाब में किया जा रहा है, वह खाम कागज पर होकर किसी भी सूरत में साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है जिस तथाकथित लिखतम का उल्लेख विपक्षीगण द्वारा किया जा रहा है वह विपक्षीगण के मौरूस एवं अन्य द्वारा मुझ प्रार्थी पर दबाव बना कर मिथ्या कथन कर लिखवाई गई है, उपरोक्त लिखापढी मात्र सुविधानुसार काश्त करते हुए का कथन बताते हुए करवाई थी किन्तु विपक्षीगण के मौरूसान द्वारा इस पर मन मकसुद तरीके से लिखापढी कर दी गई जो हक व अधिकार के मुकाबले शून्य हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:51:59 IST
Reason: SelfAttested

वाद वर्णित भूमि संयुक्त खातेदारी की होकर संयुक्त काश्त की है जिसमें समस्त सहखातेदारान के मध्य मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाडे की डिक्री जारी किया जाना नितान्त आवश्यक हैं। समस्त सहखातेदारान के मध्य मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाडा किया जाना न्याय संगत है ताकि किसी भी पक्षकार के साथ अन्याय न हो। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब उल जवाब प्रार्थना पत्र को रिकार्ड पर लिया जावें।

8. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

9. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक हैः–

1. *प्रथम दृष्टया मामला–* प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी, विपक्षी संख्या 1, विपक्षी संख्या 2 से 6 के मौरूस व अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। इस प्रकार प्रार्थी एवं विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार के रूप में काश्तकार हैं। प्रार्थी द्वारा बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि को विक्रय, हस्तान्तरण, खुर्द बुर्द करने से अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहता हैं। विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार होकर पूर्व खातेदारों के मध्य आपसी बंटवाडा लिखापढी करना बताकर उसी अनुसार मौके पर काबिज होना बताया हैं। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादग्रस्त भूमि के उभय पक्षकारान रेकार्डेड खातेदार हैं। उभय पक्षकारान रेकार्डेड खातेदारान होने से किसी भी एक पक्ष को पाबंद किया जाना न्यायोचित नहीं पाया जाता हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला उभय पक्षकारान के पक्ष में साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

2. *सुविधा संतुलन–* चूंकि वाद वर्णित भूमि के सहखातेदार प्रार्थी एवं विपक्षीगण व अन्य सहखातेदार है। न्यायालय का यह अभिमत है कि सहखातेदारी की भूमि में यदि किसी एक पक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो इससे एक पक्ष को काफी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:51:59 IST
Reason: SelfAttested

असुविधा का सामना करना पडेगा तथा उन्हे अपनी भूमि का विकास करने, ऋण लेने आदि में भी कठिनाई होगी। उभय पक्षकारान सहखातेदार होने से यदि मात्र विपक्षीगण को पाबंद किया जाता है तो इससे विपक्षीगण के साथ कठुराघात होगा। चूंकि प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज एवं ठोस कारण नहीं बताया जिससे यह प्रतीत होता हो कि विपक्षीगण को पाबंद किया जाना आवश्यक हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर सुविधा संतुलन का बिन्दु प्रार्थी अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रहा हैं। अतः सुविधा संतुलन का बिन्दु प्रार्थी के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

3. <u>*अपूरणीय क्षति का बिन्दु*</u> – चूंकि वाद वर्णित भूमि प्रार्थी, विपक्षी संख्या 1, विपक्षी संख्या 2 के मौरूस व अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज है। सहखातेदारी की भूमि में प्रत्येक इंच पर प्रत्येक का कब्जा माना जाता है इसलिए यदि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो विपक्षीगण को अपूरणीय क्षति होगी तथा विपक्षीगण को अपने हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग करने में बाधा उत्पन्न होगी। विपक्षीगण खातेदार होने से इन्हे अपने हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग करने का पूरा अधिकार हैं। अतः उपरोक्त विवचेन के आधार पर अपूरणीय क्षति का बिन्दू प्रार्थी के विरूद्व साबित होता हैं। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के विरूद्व निर्णित किया जाता हैं।

10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की ग्राम ईण्टाली पटवार हल्का ईण्टाली तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2072–75 के खाता संख्या 24 पर दर्ज आराजी नम्बर 828, 2671, 2672 किता 3 कुल रकबा 4 बीघा एवं खाता संख्या 28 पर दर्ज आराजी नम्बर 2564, 2576 किता 2 कुल रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा भूमि प्रार्थी, विपक्षी संख्या 1, विपक्षी संख्या 2 के मौरूस व अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सनुसार दर्ज हैं। प्रार्थी द्वारा मूल वाद बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया हैं। प्रार्थी, विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहता हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि के उभय पक्षकारान खातेदार काश्तकार हैं। विपक्षीगण द्वारा उभय पक्षकारान व इनके मौरूस के मध्य पूर्व में आपसी बंटवाडे की लिखापढी होना बताकर उसी अनुसार मौके पर काबिज होना बताया हैं। प्रार्थी का कथन है कि विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द व हस्तान्तरण करने पर आमादा है परन्तु प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण के विरूद्व प्रकरण वर्ष 2018 में पेश किया जिसमें विपक्षीगण के विरूद्व किसी प्रकार की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं हैं। यदि विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द व हस्तान्तरण करने पर आमादा होते तो अब तक हस्तान्तरण कर चुके होते परन्तु प्रार्थी द्वारा अब तक ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि विपक्षीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द व

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:51:59 IST
Reason: SelfAttested

हस्तान्तरण कर दी गई हो। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि प्रार्थी, विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा नाजायज लाभ प्राप्त करना चाह रहा हैं। चूंकि सहखातेदारी की भूमि पर प्रत्येक इंच पर प्रत्येक का कब्जा माना जाता हैं इसलिए यदि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो विपक्षीगण अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि के विकास करने, ऋण आदि लेने, उपयोग उपभोग नहीं कर पायेगे तथा विपक्षीगण को अपूरणीय क्षति होगी।

शेष अन्य बिन्दू मूल वाद में साक्ष्य सबूत गवाह आदि के आधार पर तय किये जावेगें। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्व निर्णित किये गये है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत नहीं होता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:51:59 IST
Reason: SelfAttested